फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री सुरेश | **विपक्षी : श्री पुष्कर**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 55/22**

जीसीएमएस : 2022/224

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 06.08.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब एवं काउन्टर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराया तथा काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा नूरडा पटवार हल्का नूरडा तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 71 पर दर्ज आराजी नम्बर 1239, 1240, 1241, 1242, 1243 किता 5 कुल रकबा 0.5262 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी व विपक्षी संख्या 2 एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रकरण के अवलोकन से प्रार्थी द्वारा बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 2 खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षी संख्या 2 को पाबंद कराना चाह रहा हैं। वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 2 सहखातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 2 दोनों के पक्ष में साबित होते हैं। मूल वाद बंटवाडे का होने से यदि सिर्फ विपक्षी संख्या 2 को ही पाबंद किया जाता है तो इससे विपक्षी संख्या 2 के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। अतः मूल वाद बंटवाडे का होने से यदि उभय पक्षकारान को पाबंद नहीं किया जाता है एवं उभय पक्षकारान वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कर मौका परिवर्तन कर देते है तो इससे प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी तथा खातेदारों को अपूरणीय क्षति होगी। चूंकि सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक इंच पर प्रत्येक का कब्जा माना जाता हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर उभय पक्षकारान को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एवं विपक्षीगण का काउन्टर प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:13:49 IST
Reason: SelfAttested

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एवं विपक्षीगण का काउन्टर प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा नूरडा पटवार हल्का नूरडा तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 71 पर दर्ज आराजी नम्बर 1239, 1240, 1241, 1242, 1243 किता 5 कुल रकबा 0.5262 हेक्टेयर भूमि में उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाए रखें, मौके पर कोई बडा निर्माण कार्य कर भौतिक स्वरूप में बदलाव नहीं करें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:13:49 IST
Reason: SelfAttested